न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू, जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–122/2018

वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–17.09.2018

निर्णय दिनांकः–12.07.2019

उनवान

गीता देवी धर्मपत्नि कैलाश चन्द्र विजय जाति महाजन निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)

वादीया

बनाम

1.सरजू बेवा उदयलाल जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
2.कैलाशी पुत्री उदयलाल जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
3.रसाली पुत्री उदयलाल जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
4.तहसीलदार, पीपलू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राज.टि.एक्ट 1955

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण–श्री राजेन्द्र सराधना

निर्णय दिनांक–12.07.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी खसरा न0 2117 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा वाकै ग्राम झिराना तह0 पीपलू में से

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

वादीया ने 25 बाई 230 फिट (5750 वर्गफिट) भूमि को प्रतिवादीगण के पति व पिता उदयलाल पुत्र देवा जाट से दिनांक 19.02.1998 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी। खरीद की दिनांक से वादीया अपनी आराजी की मालिक काबिज स्वामी हैं किन्तु विक्रय पत्र का कानुनी जानकारी के अभाव में राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ हैं। विक्रेता उदयलाल की मृत्यु हो जाने से उक्त आराजी विभाजित होने के बाद वर्तमान में प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हैं। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम दर्ज भूमि आराजी खसरा न0 2117/3 रकबा 05 बिस्वा में से 5750 वर्गफिट/4.2248 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सराधना ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया। वादीया ने अपने वाद पत्र के सम्बध में नकल जमाबन्दी नकल खसरा गिरदावरी एवं विक्रय पत्र की प्रति पेश की हैं। उभयपक्ष अधिवक्ता ने इकबाली जवाब दावे के आधार पर वाद वादीया डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण की सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति दिनांक 19.02.1998 से स्पष्ट हैं कि उदयलाल पुत्र देवालाल जाट द्वारा आराजी ख0न0 2117 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा में से 5750 वर्गफिट भूमि का बेचान वादीया गीता देवी धर्मपत्नि कैलाशचन्द विजय को किया गया हैं और उदयलाल की मृत्यु उपरान्त विभाजन होने से उक्त आराजी ख0न0 2117/3 रकबा 05 बिस्वा वाकै ग्राम झिराना वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की खातेदारी में दर्ज हैं। इस कारण वाद वादीया डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम दर्ज भूमि आराजी खसरा न0 न0 2117/3 रकबा 05 बिस्वा वाकै ग्राम झिराना में से 5750 वर्गफिट/4.2248 बिस्वा भूमि का वादीया को खातेदार घोषित किया जाता हैं शेष बची भूमि प्रतिवादीगण के नाम यथावत रहेगी। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के स्थान पर वादीया के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू